न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 299 / 2003 संस्थापित दिनांक 27 / 12 / 1999 फाइलिंग नं. 230303000342003

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म०प्र०

> > <u>.....अभियोजन</u>

बनाम

रामहेत पुत्र राजाराम शर्मा उम्र—43 वर्ष निवासी—ग्राम भीमपुरा थाना फूप जिला भिण्ड

<u>...... अभियुक्त</u>

(अपराध अंतर्गत धारा—279, 337, 338 एवं 304ए भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री के०पी० राठौर।)

<u>::- नि र्ण य --::</u> (आज दिनांक 20 / 07 / 2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 17.11.1999 के 16:00 बजे दिलीप सिंह के पुरा के पास ग्वालियर भिण्ड रोड पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0—09—के0ए0—9375 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी—06—जे.ए.—6861 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी बृजिकशोर एवं आहत योगेन्द्र, मीरा, सुरजीत, रामसेवक, शारदा, कण्ठश्री, सर्वेश एवं सुरमाला को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहित तथा उसमें बैठे श्यामवरन, रामवरन, काशीबाई, लाखनसिंह, शिशुपाल को चोट पहुंचाकर उन्हें अस्थिभंग कारित कर उन्हें गंभीर उपहित तथा उसमें बैठे श्रीकृष्ण को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 279, 337, 338 एवं 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.99 को फरियादी बृजिकशोर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली कमांक एम0पी0—06—जे.ए.6861 से फेरा करके मउ जिला ग्वालियर से वापिस आ रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली में वह और उसके रिश्तेदार बैठे थें महिलायें, बच्चे, पुरूष कुल 16—17 लोग बैठे थे उसने रास्ते में कीरतपुरा डांग से ट्रैक्टर ट्रॉली में खण्डे भरे थे खण्डों की ट्रॉली में लोग बैठे थे। वह ट्रैक्टर चलाता हुआ अपने गांव लावन जा रहा था तभी गोहद चौराहे से करीब तीन कि0मी0 दूर भिण्ड रोड पर दिलीपसिंह के पुरा के पास एक ट्रक ग्वालियर की तरफ से आया था और उसने पीछे से उसकी ट्रॉली में टक्कर मार दी थी जिससे उसकी ट्रॉली पलट गयी थी। उसके ट्रैक्टर का भी नुकसान हुआ था एवं उसमें बैठी सवारी सुरजीत, रामवरन, गोमती, श्यामकरन, शिशुपाल, सुरमाला, सर्वेश, शारदा, कण्डश्री, सोबरन, रामसेवक, योगेन्द्रसिंह, छोटे एवं मीरा को चोट आई थी तथा श्रीकृष्ण मौके पर ही खत्म हो गया था कुछ लोगों की हिड्डयां ट्रट

2

गयी थी सभी लोग मौके पर पड़े थे ट्रक का नंबर एम0पी0-09-के0ए0-9375 था उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद चौराहा में अपराध क्रमांक <u>152 / 99</u> पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था । विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टयां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी बृजिकशोर द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को फरियादी बुजिकशोर के संबंध में भा0द0स0 की धारा 337 के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 279 तथा अन्य आहतगण के संबंध में भा0द0स0 की धारा 337, 338 एवं 304ए के अंतर्गत विचारण शेष है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झुठा फंसाया गया है।
- इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-
- क्या आरोपी ने दिनांक 17.11.99 को 16:00 बजे दिलीपसिंह के पुरा के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जे.ए.६८६१ में टक्कर मारकर उसमें बैठे आहत योगेन्द्र, सुरजीत, रामसेवक, महेन्द्र, शारदा, कण्ठश्री, सर्वेश एवं सुरमाला को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति तथा उसमें बैठे श्यामकरन, रामवरन, काशीबाई, लाखनसिंह, शिशुपाल, एवं मीरा को चोट पहुंचाकर उन्हें गंभीर उपहति तथा उसमें बैठे श्रीकृष्ण को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?
- उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी बृजिकशोर अ०सा०1, योगेन्द्रसिंह अ०सा०2, सुघरसिंह अ०सा०३, सागरसिंह अ०सा०४, श्रीमती मीरा अ०सा०५, सोबरनसिंह अ०सा०६, शारदा अ०सा०७, शिशुपाल अ०सा०८, रामसेवक अ०सा०९, लाखनसिंह अ०सा०१०, डॉ० के.एल.गोयल अ०सा०११ एवं मुकेश अ०सा०१२ को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

- साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- उक्त विचारणीय प्रश्नो के संबंध में फरियादी बृजिकशोर अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 17.11.99 के साढ़े चार बजे की है। वह अपनी बहन कण्ठों के यहां से फेरा करके वापिस अपने गांव लावन ट्रैक्टर से जा रहा था। ट्रैक्टर में उसके अलावा सोबरन, मीरा सहित 16–17 लोग बैठे थे। ट्रैक्टर को वह चला रहा था। उसने गोहद की डांग से ट्रैक्टर में

3

खण्डे भरे थे खण्डों के उपर लोग बैठ गये थे और वह ट्रैक्टर लेकर लावन की ओर चल दिया था। वह गोहद चौराहे से थोड़ा आगे निकला था तभी ग्वालियर की ओर से आने वाले ट्रक ने उसके पीछे से टक्कर मार दी थी। ट्रक चालक ट्रक को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गयी थी और उसमें बैठी सवारियों को चोट आई थी उसके भी नाक के उपर चोट आई थी उसे ट्रक का नंबर याद नहीं है। उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामीका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका ट्रैक्टर जप्त किया थ जप्ती पंचनामा प्र0पी–3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि ट्रक कमांक एम0पी0-09-के0प0-9375 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी ट्रॉली में टक्कर मारी थी उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने ट्रक का नंबर अपनी रिपोर्ट प्र0पी–1 एवं पुलिस कथन प्र0पी-4 में पुलिस को नहीं लिखाया था। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका वाहन भिण्ड की ओर से जा रहा था इसलिए वह नहीं देख पाया था कि पीछे वाला वाहन किस प्रकार चल रहा था। वह यह भी नहीं बता सकता कि उक्त वाहन को कौन चला रहा था।

- साक्षी योगेन्द्रसिंह अ0सा02, सुघरसिंह अ0सा03, मीरा अ0सा05, सोबरनसिंह 10. अ०सा०६, शारदा अ०सा०७, शिशुपाल अ०सा०८, रामसेवक अ०सा०९, लाखनसिंह अ०सा०१० ने भी फरियादी बृजिकशोर अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर भिण्ड जाने तथा दिलीपसिंह के पुरा के पास ट्रक द्वारा उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार देने बाबत प्रकटीकरण किया
- सागरसिंह अ०सा०४ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है 11. एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी–3 के सी से सी भाग पर एवं सफीना फार्म प्र0पी–5, तथा नक्शा लाश पंचायतनामा प्र0पी–6 के क्रमशः बी से बी भाग पर एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी–7 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।
- साक्षी मुकेश अ०सा०१२ जोकि आरोपित ट्रक क्रमांक एम०पी०-०९-के०ए०-९३७५ का पंजीकृत स्वामी है, ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उक्त ट्रक पर कौन सा ड्राइवर चलता था उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी एवं उसके सामने कोई कागज जप्त नहीं किया था। जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफतार नहीं किया था। गिरफतारी पंचनामा प्र0पी-21 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी गाड़ी का चालान हुआ था तब पुलिस ने उससे उक्त हस्ताक्षर कराये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविराधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।
- डॉं० के०एल० गोयल अ०सा०११ ने चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी–१३, प्र०पी–१४, 13. प्र0पी—15, प्र0पी—16, प्र0पी—17, एवं प्र0पी—18 तथा मृतक श्रीकृष्ण की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी—19 को प्रमाणित किया है।
- तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित सभी साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अभियोजन साक्षीगण द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

15.

प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी बुजिकशोर अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन

4

में व्यक्त किया है कि वह घटना वाले दिन अपनी बहन कण्ठों के यहां से फेरा करके अपने ट्रैक्टर से वापिस अपने गांव लावन जा रहा था। ट्रैक्टर में उसके अलावा सोबरन एवं मीरा सहित 16–17 लोग बैठे थे। गोहद चौराहा के आगे एक ट्रक के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी थी जिससे उसकी ट्रॉली पलट गयी थी एवं उसमें बैठी सवारियों को चोटें आईं थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी ट्रॉली में टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि उक्त वाहन को कौन चला रहा था। इस प्रकार फरियादी बृजिकशोर अ0सा01 ने अपने कथन में घटना वाले दिन उसका ट्रक से एक्सीडेन्ट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था और उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 🤇 आहत योगेन्द्रसिंह अ0सा02 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन शिशुपाल, 16. श्रीकृष्ण, सुघरसिंह, एवं सोबरनसिंह सहित 13—14 लोगों के साथ ट्रैक्टर में बैठकर भिण्ड जाना तथा एक ट्रक द्वारा उनकी ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार देना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि वह ट्रक का नंबर नहीं बता सकता है। ट्रक का ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग गया था इसलिए वह उसे नहीं देख पाया था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविराधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने ट्रक का नंबर एम0पी0-09-के.ए.-9375 लेख कराया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है। उसने दुर्घटना कारित करने वाले ड्राइवर को घटनास्थल पर नहीं देखा था। उसे जानकारी नहीं है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था। इस प्रकार आहत योगेन्द्रसिंह अ०सा०२ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यन्त विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले ड्राइवर का मौके पर नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- साक्षी सूघरसिंह अ०सा०३ ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन एक्सीडेन्ट होना तो बताया है एवं यह भी बताया है कि दुर्घटना में कई लोग घायल हो गये थे तथा श्रीकृष्ण की मृत्यु हो गयी थी परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी ने घटना कारित नहीं की थी। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- आहत श्रीमती मीरा अ०सा०५, ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन फेरा करने ननद के यहां जाना तथा लौटते समय उसका ट्रक से एक्सीडेन्ट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी की पहचान नहीं की गयी है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- साक्षी सोबरनसिंह अ०सा०६, शारदा अ०सा०७, शिशुपाल अ०सा०८, रामसेवक अ०सा०९ एवं लाखनसिंह अ०सा०१० ने भी घटना दिनांक को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर फेरा करने जाना तथा वापिस लौटते समय एक ट्रक द्वारा ट्रॉली में टक्कर मार देना बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का निंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा

अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथन से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 20. साक्षी सागरसिंह अ०सा०४ ने भी अपने कथन में घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र०पी—3, सफीना फार्म प्र०पी—5, नक्शा लाश पंचायतनामा प्र०पी—6 तथा जप्ती पंचनामा प्र०पी—7 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है परन्तु यह भी व्यक्त किया है कि उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एव आरोपी के विरुद्ध कोई नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 21. साक्षी मुकेश अ०सा०11 जोकि आरोपित ट्रक क्रमांक एम०पी०-07-के.ए.9375 का पंजीकृत स्वामी है, ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उस्त ट्रक पर कौन ड्राइवर चलता था। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र०पी-20 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी-21 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि उसके सामने आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभयोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम०पी०-09-के.ए.9375 को आरोपी रामहेत चला रहा था। इस प्रकार मुकेश अ०सा०12 द्वारा भी इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उसके ट्रक को आरोपी रामहेत चलाता था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 22. डॉ० के०एल० गोयल अ०सा०११ द्वारा चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी—१३, १४, १५, १६, १७ एवं १८ तथा शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी—१९ को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
- 23. उक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी बृजिकशोर अ०सा01, आहत योगेन्द्रसिंह अ०सा02, सुघरसिंह अ०सा03, सागरसिंह अ०सा04, मीरा अ०सा05, सोबरनसिंह अ०सा06, शारदा अ०सा07 शिशुपाल अ०सा08, रामसेवक अ०सा09, लाखनसिंह अ०सा010 एवं मुकेश अ०सा012 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी डाँ० के०एल०गोयल अ०सा011 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रक कमांक एम०पी०—09—के.ए.9375 को आरोपी रामहेत चला रहा था एवं आरोपी रामहेत के आरोपित ट्रक को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए ट्रैक्टर कमांक एम०पी०—06—जे.ए.6861 में टक्कर मारकर वाहन दुर्घटना कारित की। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 24. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करें यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 17.11.1999 के 16:00 बजे दिलीप सिंह के पुरा के पास ग्वालियर भिण्ड रोड पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0—09—के0ए0—9375 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी—06—जे.ए.—6861 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी बृजिकशोर एवं आहत योगेन्द्र, मीरा, सुरजीत, रामसेवक, शारदा, कण्ठश्री, सर्वेश एवं सुरमाला को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहित तथा उसमें बैठे श्यामवरन, रामवरन, काशीबाई, लाखनसिंह, शिशुपाल को

चोट पहुंचाकर उन्हें अस्थिभंग कारित कर उन्हें गंभीर उपहित तथा उसमें बैठे श्रीकृष्ण को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामहेत को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा०द०स० की धारा 279, 337, 338 एवं 304ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

26. प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक कमांक एम0पी0-09-के.ए.-9375 एवं ट्रैक्टर कमांक एम0पी-06-जे.ए.6861 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उनके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अविध पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 20.07.17 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

25.

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

्रा अवस्थं, ्राजेस्ट्रेट प्रथम र जिला भिण्ड(म०) सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी)